उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–3974 –औ0सं0 / 2019–87 / ए0एस0 / 96 दिनांक 16 नवम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

ई– मेल (आन्दोलन नोटिस)
अति–आवश्यक / तत्काल कार्यवाही

विषय :– राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0, द्वारा अवर अभियन्ताओं / अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों के भविष्य निधि के असुरक्षित निवेश के कारण उत्पन्न स्थिति का समाधान न किये जाने की दशा में दिनांक 20.11.2019 से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार आन्दोलन नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–287 / म–2 / संघर्ष नोटिस दिनांक 13.11.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवर अभियन्ताओं / अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों के भविष्य निधि के असुरक्षित निवेश के कारण उत्पन्न स्थिति का समाधान न किये जाने की दशा में दिनांक 20.11.2019 से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार आन्दोलन नोटिस दिया है।

आप विदित है कि "उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966" के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–811 / 24–पी–2–19–1(121) / 04 दिनांक 04.07.2019 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–2550–औ0सं0 / 2019–159–ए / 67 दिनांक 23.07.2019 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2001–3– ए0 / 79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 के द्वारा अवर अभियन्ताओं / अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों के भविष्य निधि के असुरक्षित निवेश के कारण उत्पन्न स्थिति का समाधान न किये जाने की दशा में दिनांक 20.11.2019 से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार आन्दोलन नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक(औ0सं0)

संख्या–3974–(1)–औ0सं0 / 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल, वाराणसी, पश्चिमांचल, मेरठ, मध्यांचल, लखनऊ, दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0।
7. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
9. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा), / उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. कारपोरेशन मुख्यालय / लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक(औ0सं0)

फोन: 9198788267-052222049

सत्यमेव जयते

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0

सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ-226001

उ0प्र0रा0वि0प0 आदेश सं0 8022-F(IR-I)90H/73 दि0 28.12.74 द्वारा मान्यता प्राप्त

सोसाइटीज रजि0 अधिनियम 1860 में पंजीकरण संख्या 2672 दिनांक 08-09-1981

(आल इंडिया फेडरेशन आफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स से सम्बद्ध)

email:-sachivrvpjes@gmail.com

Website:-www.rvpjes.c

पत्रांक: 287/म-2/संघर्ष नोटिस

कार्य बहिष्कार की सूचना

दिनांक: 13/11/2019

सेवा में,

मा0 प्रमुख सचिव (ऊर्जा)
उ0प्र0 शासन, बापू भवन
लखनऊ।

14012/md/19
15/11/19

14-11-19

विषयः– ऊर्जा क्षेत्र के अवर अभियन्ताओं/अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों के भविष्य निधि के असुरक्षित निवेश के कारण उत्पन्न संकटपूर्ण स्थिति का समाधान न किये जाने की दशा में कार्य वहिष्कार आन्दोलन की सूचना।

महोदय,

आप सादर अवगत है कि उ0प्र0 के विभिन्न ऊर्जा निगमों यथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं केस्कों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं, प्रोन्नत अभियन्ताओं एवं अन्य समस्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0)/अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के जमा धन को ट्रस्ट के नियमों से विचलन कर दीवान हाउसिंग फाइनेन्स लि0 में निवेशित कर दिया गया। **ट्रस्ट के नियमानुसार कर्मचारियों के भविष्य निधि धन का निवेश भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार** वित्तीय संस्थान/कम्पनी में धन नियोजित किये जाने की **सीमा का उल्लंघन कर निर्धारित सीमा 50% से अधिक, करीब 65% धन का निवेश डी0एच0एफ0एल0 में वर्ष 2017 से 2018 के मध्य कर दिया गया। वर्तमान समय में दीवान हाउसिंग फाइनेन्स लि0 दीवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है** तथा मा0 उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा कम्पनी के खातों से किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा दिये जाने के कारण उ0प्र0 पावर सेक्टर के कार्मिकों के भविष्य निधि का लगभग 2200 करोड़ रू0 फँस चुके हैं, जिससे अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ता और अन्य सभी कार्मिकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

महोदय यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि भविष्य निधि के संकलन हेतु प्रतिमाह न्यूनतम 10 प्रतिशत (अथवा कार्मिक की इच्छानुसार 10 प्रतिशत से भी अधिक) कार्मिकों के वेतन एवं 10 प्रतिशत अंशदान विभाग द्वारा जमा किया जाता है। भविष्य निधि में 25 से 30 वर्षों तक की लगातार बचत से संकलित फण्ड की धनराशि पर कार्मिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी-विवाह, संवानिवृत्ति उपरांत **बुढ़ापे में जीवन-यापन पर धन की व्यवस्था आदि जैसे अति आवश्यक कार्य निर्भर रहते है।** ऐसे में कार्मिकों की **भविष्य निधि इस घोटाले में फंस जाने से समस्त कार्मिक बेहद चिन्तित एवं आक्रोशित हैं।**

यह भी सूच्य है कि रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन (उ0प्र0), ट्रस्ट के पारदर्शी संचालन एवं भविष्य निधि में जमा धनराशि का विवरण सम्बन्धित कार्मिकों को ससमय उपलब्ध कराये जाने हेतु ऊर्जा प्रबन्धन से लगातार माँग की गयी परन्तु खेद का विषय है कि संगठन की माँग पर ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

आप अच्छी तरह भिज्ञ हैं कि ऊर्जा क्षेत्र के अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ता तथा अन्य सभी कार्मिक जाड़ा, गर्मी, बरसात में दिन रात चौबिसों घंटे कार्य कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करते हैं, उ0प्र0 तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा सौभाग्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति इत्यादि को धरातल पर क्रियान्वयन के साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत चोरी रोकने एवं राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूर्ण करने में दिन-रात संलग्न रहते हैं जिससे देश एवं प्रदेश को उत्तम बनाये जाने के सपने को तीव्रता से

1841 / 2019

पूरा किया जा सके, इसके अतिरिक्त ऊर्जा निगमों का 100% स्वामित्व उ0प्र0 सरकार का होने के कारण भी ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों के भविष्य की सुरक्षा की स्वाभाविक जिम्मेदारी उ0प्र0 सरकार की है इसी क्रम में निम्नांकित गंभीर समस्याओं पर ध्यानाकर्षण हेतु **संगठन द्वारा दिनांक 13.11.2019 लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया** तथा विरोध सभाएं की गई, जिससे विद्युत कार्मिकों को न्याय प्राप्त हो सके।

संगठन पुनः अनुरोध करना चाहेगा कि निम्नलखित माँगों पर सहानुभूतिपर्वक विचार कर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध करता है :–

1. उ0प्र0 उर्जा निगम में कार्यरत कार्मिकों के जी0पी0एफ0 एवं सी0पी0एफ0 ट्रस्ट में धनराशि की गई कटौती के विरूद्व उनके देयक राशि की सुरक्षा की गारण्टी प्रदान किये जाने हेतु राजाज्ञा पत्र (गजट नोटिफिकेशन) जारी कराने की कृपा करें।

2. ट्रस्ट का संचालन नियमों के विपरीत किये जाने, ट्रस्ट के नियमों की अनदेखी कर भ्रष्टाचार की मंशा से कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ कर मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध मानकों के विपरीत निजी बैंको में धन–निवेश किये जाने के गंभीर आर्थिक अपराध के कृत्य के प्रमुख जिम्मेदार शीर्षस्थ अधिकारी (ट्रस्ट के तत्कालीन चेयरमैन) एवं अन्य ट्रस्टी सदस्यों को उनके पदों से तत्काल निलम्बित कर पारदर्शी जांच किये जाने हेतु उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाही किये जाने का निर्देश जारी किया जाय।

3. ट्रस्ट के पारदर्शी संचालन हेतु ट्रस्ट के निमयों के तहत साफ–सुथरा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का पुनगर्ठन किया जाय, जिसमें उ0प्र0 ऊर्जा निगम में सेवारत कर्मचारियों के कैडरवार सेवा संगठन के प्रतिनिधियों को समरूपता में ट्रस्ट के बोर्ड में सदस्य ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. उ0प्र0 सरकार से अपील है कि उ0प्र0 उर्जा निगमों के भविष्य निधि ट्रस्ट में जी0पी0एफ0 / सी0पी0एफ0 / ई0पी0एफ0 में वर्तमान में उपलब्ध धनराशि की अद्यतन स्थिति का श्वेत पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. संगठन यह भी माँग करता है कि कृपया संगठन के प्रतिनिधि मण्डल को मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु 01 सप्ताह के भीतर सूक्ष्म वार्ता का समय निर्धारण किया जाय।

6. उ0प्र0 ऊर्जा निगमों में अवर अभियन्ताओं एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं की ज्वलन्त समस्याऐं (संगठन पत्रांक सं0–189 / स–7 दिनांक 22.07.2019) के क्रम में शीघ्र निस्तारण किया जाये।

उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र में पी0एफ0 राशि के महाघोटोले से ऊर्जा क्षेत्र के अवर अभियन्ता / प्रोन्नत अभियन्ता एवं समस्त कार्मिक अपने परिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गाढ़ी मेहनत की कमाई के अंश की राशि असुरक्षित महसूस कर रहा हैं, इस असुरक्षा के वातावरण में सरकार की मंशानुरूप बेहतर विद्युत उपभोक्ता सेवा कार्य भी प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है।

अतएव संगठन अनुरोध करना चाहेगा कि कृपया उपरोक्त माँगों का त्वरित निस्तारण कराये जाने हेतु अपने स्तर पर यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें **अन्यथा कि दशा में दिनांक 20.11.2019 को प्रातः 10:00 बजे से प्रदेश के समस्त अवर अभियन्ता / प्रोन्नत अभियन्ता (पाली स्कन्ध में तैनात को छोड़कर) मजबूरन कार्य वहिष्कार पर जाने को बाध्य होंगे,** जिससे कि संभावित औद्योगिक अशान्ति की समस्त जिम्मेदारी उ0प्र0 शासन एवं शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन की होगी।

सादर।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक : 287/म–2/संघर्ष नोटिस तददिनांक 13-11-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मा0 राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0, सरकार लखनऊ।
3. मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. मा0 अपर मुख्य सचिव (गृह) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. मा0 अध्यक्ष उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (का0,प्रब0 एवं प्रशा0)उ0प्र0 पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/महासचिव अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ/अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ/उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ।
9. समस्त प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव घटक संघ उ0प्र0डि0इं0 महासंघ।
10. समस्त सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रा0वि0प0ज0इं0सं0उ0प्र0।
11. कार्यालय रिकार्ड फाइल।

(जय प्रकाश)
केन्द्रीय महासचिव
मो0: 9415901335/9452737122